शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों का उसी शाला के अन्य बच्चों के साथ समायोजन का अध्ययन

आर.के. तिवारी*

शिक्षा और जीवन का गहरा संबंध है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करने में महती भूमिका के कारण शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण का प्रभावशाली यंत्र माना गया है। व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका को और व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान के 86 वें संविधान संशोधन द्वारा जीवन के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अब समूची शिक्षा प्रणाली का संवैधानिक एवं कानूनी आधार भी निर्मित हुआ है। इस कानून का नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। यह कानून 1अप्रैल 2010 से प्रभावी है।

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से अब देश में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके अनुसरण में 6–14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आर.टी.ई. 2009 के अनुपालन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011, मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 26 मार्च 2011 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है।

अधिनियम में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के अनुसार किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क/व्यय नहीं लिया जाएगा और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की होगी। शोध का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों का विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ समायोजन का अध्ययन करना था। अध्ययन में आर.टी.ई. के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चों का विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ सकारात्मक समायोजन पाया गया।

* *उपप्रबंधक*, मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल

संविधान के अनुसार हम एक प्रभुतासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नागरिक हैं। लोकतंत्र में 'लोक' सदैव महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ शासन-प्रशासन एवं संस्कृति, लोक अर्थात् जन आधारित रही है। लोकतंत्र की सफलता उत्तम नागरिकता की भावना के विकास पर निर्भर है। इसके लिए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय भी अनिवार्य घटक है अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना वर्तमान कल्याणकारी राज्यों का मुख्य दायित्व बन जाता है। शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) इसी दायित्व निर्वहन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिनियम में प्रावधान

आर.टी.ई. की धारा –16 के अनुसार किसी विद्यालय में प्रविष्ट बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा और न ही विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा के पूरा किए जाने तक निष्कासित किया जायेगा। धारा –17 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। बच्चे को किसी भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित नहीं किया जायेगा।

विद्यालय से बाहर के बालकों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति, धारा – 4 के अधीन यथा उपबंधित स्थानीय प्रधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करेगी तथा निम्नलिखित रीति से विशेष प्रशिक्षण आयोजित करेगी —

- विशेष प्रशिक्षण, विशेषकर बालक की आयु के अनुरूप सीखने की सामग्री के आधार पर होगा, जो धारा – 29 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा।
- यह स्कूल परिसर में लग रही कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय वासस्थान में आयोजित कक्षाओं के माध्यम से दिया जाएगा।
- स्कूल में कार्य कर रहे शिक्षकों या इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण न्यूनतम तीन माह की कालावधि का होगा जो सीखने की प्रगति के नियतकालिक निर्धारण के आधार पर अधिकतम दो वर्षों से अधिक की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे वह शैक्षणिक रूप से तथा भावनात्मक रूप से कक्षा के अन्य बालकों के साथ सफलापूर्वक समाहित हो सके।

उद्देश्य

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेशित बच्चों का उसी शाला के अन्य बच्चों के साथ उपस्थिति का अध्ययन करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेशित बच्चों का उसी शाला के अन्य बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन में सहभागिता का अध्ययन करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेशित बच्चों का उसी शाला के अन्य बच्चों के साथ खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में समायोजन का अध्ययन करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेशित बच्चों का उसी

शाला के अन्य बच्चों के साथ बाल कैबिनेट में सहभागिता का अध्ययन करना।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेशित बच्चों का उसी शाला के अन्य बच्चों के साथ उपलब्धि स्तर एवं सीखने की गति में समानता का अध्ययन करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेशित बच्चों के पालकों का उसी शाला के अन्य बच्चों के पालकों के साथ पालक-शिक्षक संघ में सक्रिय सहभागिता का अध्ययन करना।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में भोपाल शहर में संचालित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में से 10 विद्यालयों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया था। चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों को अध्ययन हेतु चिह्नित किया गया था।

विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधकर्ता द्वारा भोपाल शहर के चयनित विद्यालयों का अवलोकन कर उद्देश्य के अनुसार जानकारी प्राप्त की गई जिसका बिंदुवार विवरण सारणी में निम्नवत है—

दी गई सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रवेशित सभी बच्चे विद्यालय के अन्य बच्चों के समान 80–90 प्रतिशत उपस्थित रहते हैं और सभी बच्चों के साथ एकसमान एक साथ बैठकर अध्ययन करते हैं। कुछ बच्चों की उपस्थिति 95–99 प्रतिशत पाई गई। कक्षा

सारणी

क्र.	प्रश्न	उपप्रश्न	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विद्यालय में दर्ज़ बच्चों की उपस्थिति	आर.टी.ई. अंतर्गत गैर आर.टी.ई. बच्चे	10 10	80–90 80–90
2	प्रवेशित बच्चों का एक साथ अध्ययन	हाँ नहीं	10 -	100 -
3	एक साथ मध्याह्न भोजन	हाँ नहीं	10 -	100 -
4.	आर.टी.ई. प्रवेशित बच्चों का अन्य बच्चों के समान गृहकार्य	हाँ नहीं	10 -	100 -
5.	उपलब्धि स्तर में समानता	हाँ नहीं	10 -	100 -
6.	सीखने की गति	हाँ नहीं	10 -	100 -
7.	आर.टी.ई. प्रवेशित बच्चों के पालकों की पी.टी.ए. में सहभागिता	हाँ नहीं	10 -	100 -

8.	खेलकूद की गतिविधियों में सहभागिता	हाँ नहीं	10 -	100 -
9	बाल कैबिनेट में सहभागिता	हाँ नहीं	10 -	100 -
10	गणवेश की व्यवस्था एवं सफ़ाई	शुल्क के साथ एकसमान	10	100

में अत्यधिक उपस्थिति रहने का प्रोत्साहन आर.टी.ई. में प्रवेशित तथा विद्यालय के अन्य बच्चे एकसमान पा रहे हैं। अवलोकित विद्यालयों में सभी आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रवेशित बच्चे एवं अन्य सभी बच्चे अपने-अपने घर से भोजन लाकर एक साथ मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन एवं बैठक व्यवस्था में आर.टी.ई. के तहत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चे और अन्य सभी बच्चों में कोई भेदभाव नही पाया गया।

अवलोकन में यह पाया गया कि आर.टी.ई. के अंतर्गत प्रवेशित बच्चे और अन्य सभी बच्चे एकसमान गृहकार्य करके आते हैं। कुछ बच्चे जो गृह कार्य नहीं करके आते उन्हें विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कक्षा में पूर्ण करा लिया जाता है। उनमें से आर.टी.ई. और अन्य दोनों तरह के बच्चे शामिल होते हैं। प्रवेशित सभी बच्चों के उपलब्धि स्तर लगभग समान पाए गए हैं। ज़्यादा अच्छे या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे आर.टी.ई. और अन्य दोनों में पाए गए बच्चों के सीखने का स्तर भी लगभग समान पाया गया। एक विद्यालय में आर.टी.ई. के तहत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चों का उपलब्धि स्तर विद्यालय के अन्य बच्चों से उच्च पाया गया तथा अन्य गतिविधियों में भी उनका प्रदर्शन उच्च था।

आर.टी.ई. में प्रवेशित एवं अन्य अध्ययनरत बच्चों के पालकों की पी.टी.ए. में सहभागिता समान पाई गई और सभी पालक सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। अवलोकित सभी विद्यालयों में बाल कैबिनेट का गठन पाया गया और बच्चों की बालसभा में समान सहभागिता पाई गई। सभी बच्चे गणवेश में पाए गए और गणवेश साफ़ स्वच्छ देखे गए। शिक्षकों द्वारा बताया गया कि गणवेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता है। अतः विद्यालय के अन्य बच्चे जहाँ से गणवेश खरीदते हैं वहीं से आर.टी.ई. अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चे भी गणवेश खरीदते हैं। सभी बच्चे गणवेश नियमित पहनकर आते हैं तथा साफ़-स्वच्छ रखते हैं। अवलोकित विद्यालयों में शोधकर्ता द्वारा देखा गया कि आर.टी.ई. द्वारा प्रवेशित सभी बच्चे अन्य बच्चों के साथ सकारात्मक समायोजन कर रहे हैं और उनका स्तर भी अन्य बच्चों के समान पाया गया।

निष्कर्ष

- निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चे व विद्यालय में दर्ज़ अन्य बच्चों की उपस्थिति लगभग एकसमान 80–90 प्रतिशत पाई गई।
- विद्यालयों में सभी आर.टी.ई. एवं अन्य बच्चे अपने-अपने घर से भोजन लाकर मध्याह्न

अवकाश में एक साथ मध्याह्न भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन में कोई भेदभाव नहीं पाया गया।

- प्रवेशित सभी बच्चों का उपलब्धि स्तर एकसमान पाया गया। सभी बच्चों के सीखने का स्तर भी लगभग समान पाया गया।
- आर.टी.ई. के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेशित बच्चे एवं अन्य अध्ययनरत बच्चों के पालकों की पालक-शिक्षक संघ (पी.टी.ए.) में सहभागिता समान पाई गई।
- गणवेश एवं नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें निजी विद्यालयों को शासन द्वारा नहीं दी जाती हैं। अतः गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकें नि:शुल्क प्रवेशित बच्चे भी विद्यालय के अन्य बच्चों के समान उन्हीं दुकानों से खरीदते हैं और नियमित पहन कर आते हैं। इस प्रकार आर.टी.ई द्वारा प्रवेशित बच्चे एवं अन्य बच्चों के साथ सकारात्क समायोजन पाया गया। बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया गया।

सुझाव

- शासन द्वारा आर.टी.ई. अतंर्गत प्रवेशित समस्त निजी विद्यालयों की कम से कम वर्ष में दो बार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जिससे निजी संचालित विद्यालयों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
- आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित निजी विद्यालयों के बच्चों हेतु गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों की नि:शुल्क व्यवस्था शासकीय विद्यालयों के समान की जाए।
- आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेशित बच्चों के खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन के लिए शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए।
- आर.टी.ई. बच्चों की अच्छी उपलब्धि एवं अन्य गतिविधियों में अधिकाधिक सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराकर बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजने वाले निजी विद्यालय को प्रोत्साहन दिया जाए।

संदर्भ

भारत सरकार, भारत का राजपत्र. 2010. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नयी दिल्ली.

मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश राजपत्र. 2011. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* का राज्य सरकार द्वारा जारी नियम, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल.

यूनिसेफ़. 2011. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* (प्रमुख अंश). यूनिसेफ़ कार्यालय, भोपाल.

राय, पारसनाथ. 2001. *अनुसंधान परिचय*. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा.

सक्सेना, प्रीति. 2010. *शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ एवं शैक्षिक सांख्यिकी*. साहित्य प्रकाशन, आगरा.